संख्या– 32 /XXXVI(1)/2016-23 एक(5)/2005

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

डाक प्राप्ति संख्या 702/SLA
दिनांक 06-03-2017

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 03 मार्च, 2017

विषय– विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा–22 बी–(1) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार 05 जिलों में स्थायी लोक अदालत का गठन एवं सम्बन्धित पदों का सृजन किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–38/III-C/उ0रा0वि0से0प्रा0/2016 दिनांक 07-01-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम–1987 की धारा–22 बी–(1) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला अल्मोड़ा (जिला बागेश्वर एवं पिथौरागढ के क्षेत्रों की भी न्यायिक सीमा का अधिकार), जिला नैनीताल (जिला चम्पावत के क्षेत्रों की भी न्यायिक सीमा का अधिकार), जिला हरिद्वार, जिला पौड़ी गढवाल (जिला चमोली के क्षेत्रों की भी न्यायिक सीमा का अधिकार), एवं जिला टिहरी गढवाल (जिला उत्तरकाशी के क्षेत्रों की भी न्यायिक सीमा का अधिकार) में एक–एक स्थायी लोक अदालत (कुल 05 स्थायी लोक अदालतों) के गठन एवं इस निमित्त 20 अस्थायी एवं 10 आउटसोर्सिंग पद (कुल 30 पद) दिनांक 28.02.2018 तक, यदि वे इसके पूर्व ही समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	कुल पदों की संख्या (5 जिलो हेतु)	भर्ती का स्त्रोत
1	पीठासीन अधिकारी	पदधारक की सेवा शर्तो के अनुसार	05	राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर निर्धारित पदधारक की सेवाशर्तो के अनुसार
2	मुन्सरिम	5200–20200 ग्रेड पे 2800	05	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति
3	आशुलिपिक	5200–20200 ग्रेड पे 2800	05	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति
4	रीडर	5200–20200 ग्रेड पे 2800	05	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति
5	अनुसेवक	–––	10	आउटसोर्सिंग/बाहय स्त्रोत के माध्यम से
		कुल पद	30	

क्रमशः.....2

2— उक्त मद में होने वाला व्यय संगत वित्तीय वर्ष के आय व्ययक के अनुदान सं0—04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014—न्याय प्रशासन—00—आयोजनेत्तर—800—अन्य व्यय—10—स्थायी लोक अदालत—00" की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3— उक्त पदों पर नियुक्तियाँ सुसंगत सेवा नियमावली में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार की जायेंगी।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—127/XXVII(7)/2016 दिनांक 02.03.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
सचिव

संख्या— —— /XXXVI(1)/2016-23 एक(5)/2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
3. समस्त सदस्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्रधिकरण, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अनुभाग—7/कार्मिक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी गढवाल, टिहरी गढवाल।
6. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव

Sh. Ravi/Sh. Chetan

6/3/17
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
नैनीताल